



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32-2020/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 29, 2020 (PHALGUNA 10, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th February, 2020

No. 17-HLA of 2020/29/3876.— The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 17-HLA of 2020

THE HARYANA CONSOLIDATION OF PROJECT LAND (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Act, 2020. Short title.
2. For section 3 of the Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:—
“3. Consolidation of project land.— Where the State Government or any agency owns or has purchased or has taken on lease seventy percent or more of the total project land in a particular area falling in one or more revenue estates and the remaining is left out pockets of private land, the State Government may consolidate the total project land to ensure the viability of such project.” Substitution of section 3 of Haryana Act 28 of 2017.
3. Insection 7 of the principal Act,—
(a) in clause (ii), for the words “an equal area”, the words “an area” shall be substituted;
(b) in the proviso, for the sign ‘.’ existing at the end, the sign ‘:’ shall be substituted; and
(c) after the existing proviso, the following provisos shall be added, namely:—
“Provided further that where the person exercises the option under clause (ii), he shall receive an additional compensation equal to ten percent of the Collector rate for such land:” Amendment of section 7 of Haryana Act 28 of 2017.

Provided further that in either case, the person shall be entitled to receive such compensation for any building or structure existing on the project land under his ownership, as may be assessed by an officer not below the rank of Executive Engineer.”.

Insertion of section 9A in Haryana Act 28 of 2017.

4. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“9A. Appeal.- (1) Any person aggrieved by the final consolidation scheme for the project land notified by the competent authority under section 9, may file an appeal before the Deputy Commissioner of the district in which the project land is located.

(2) The form, manner and fees for filing the appeal shall be such, as may be prescribed.

(3) The Deputy Commissioner shall, on receiving the appeal, summon the record from the competent authority.

(4) The Deputy Commissioner, after giving an opportunity of being heard, shall issue an order giving effect to the notification issued under section 9 or modifying it, as he may deem fit, subject to the options specified in clauses (i) and (ii) of section 7 of this Act.

(5) The competent authority shall, on receiving the order of the Deputy Commissioner under sub-section (4), publish the modified final consolidation scheme for the project land in such manner, as may be prescribed.”.

Substitution of section 10 of Haryana Act 28 of 2017.

5. For section 10 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

“10. Right to take possession.- (1) After notification of the final consolidation scheme under section 9 or modified final consolidation scheme under sub-section (5) of section 9A, as the case may be, the competent authority shall take possession of the left out pockets of private land and shall disburse the compensation or hand over possession of the land in lieu thereof to the person entitled under the final consolidation scheme or modified final consolidation scheme in such manner, as may be prescribed.

(2) The possession of the project land may be taken by the State Government on any date after the publication of the modified final consolidation scheme under sub-section (5) of section 9A.”.

Amendment of section 17 of Haryana Act 28 of 2017.

6. In sub-section (2) of section 17 of the principal Act,-

(a) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ff) the form, manner and fees for filing the appeal under sub-section (2) of section 9A;

(b) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(gg) the manner of publication of the modified final scheme under sub-section (5) of section 9A;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the principal Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Act, 2017 (Haryana Act No. 28 of 2017), the objects are to make special provisions to consolidate left out pockets of land for setting up a project and for the matters connected therewith or incidental thereto. However, the State of Haryana has faced some difficulties, while interpreting the provisions and implementing them. Hence, it is necessary to make certain amendments in the Haryana Act No. 28 of 2017. Accordingly to achieve the said purpose, the need to amend the *ibid* Act has become necessary.

The Haryana Consolidation of Project Land (Special Provisions) Amendment Bill, 2020, *inter alia* seeks to:

- (a) To insert Section 3 of the Act No. 28 of 2017, so as to include land taken on leased as well.
- (b) To amend clause (ii) of section 7 of the Act, so as to remove the infirmity.
- (c) To insert second proviso in Section 7 of the said Act by making a provision of additional compensation of 10 per cent of the collector rates, in case a person opts for compensation, in lieu of land, as per clause (i) of said Section. Further, to insert third proviso in said section, so as to make a provision of getting compensation for any building or structure on the project land.
- (d) To insert section 9 A in the principal Act, so as to make a provision of appeal.
- (e) To amend section 10, in view of insertion of section 9 A.
- (f) To insert section 17 regarding form, manner and fees for filing the appeal as well as the manner of publication of modified final scheme respectively.

The Bill seeks to give effect to the aforesaid objects.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 29th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2020 का विधेयक संख्या 17 एच.एल.ए.

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2020

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017

को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम । 1. यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 3 का प्रतिस्थापन । 2. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“3. परियोजना भूमि का समेकन.— जहां एक या अधिक राजस्व संपदाओं में आने वाले किसी विशेष क्षेत्र में कुल परियोजना भूमि का सत्तर प्रतिशत या से अधिक का स्वामित्व राज्य सरकार या किसी अभिकरण के पास है अथवा खरीदा गया है या पट्टे पर लिया गया है तथा शेष निजी भूमि के भू-खण्डों के रूप में रह जाता है, तो राज्य सरकार ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना भूमि का समेकन कर सकती है।”

2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 7 का संशोधन । 3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

- (क) खण्ड (ii) में “समान क्षेत्र” शब्दों के स्थान पर, “कोई क्षेत्र” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान “।” के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ग) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि जहां व्यक्ति खण्ड (ii) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, तो वह ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर के दस प्रतिशत के समान अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि दोनों मामलों में, व्यक्ति उसके स्वामित्वाधीन विद्यमान परियोजना भूमि पर किसी निर्माण या संरचना के लिए ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने हेतु हकदार होगा, जो ऐसे अधिकारी, जो कार्यकारी अभियन्ता की पदवी से नीचे का न हो, द्वारा निर्धारित किया जाए।”

2017 का हरियाणा अधिनियम 28 में धारा 9क का रखा जाना । 4. मूल अधिनियम की धारा 9 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“9क. अपील.— (1) धारा 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित परियोजना भूमि के लिए अन्तिम समेकन स्कीम द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति जिले, जिसमें परियोजना भूमि अवस्थित है, के उपायुक्त के सम्मुख अपील दायर कर सकता है।

(2) अपील दायर करने के लिए प्ररूप, रीति तथा फीस ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

(3) उपायुक्त, अपील की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी से अभिलेखों के लिए सम्मन करेगा।

(4) उपायुक्त, सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (i) तथा (ii) में विनिर्दिष्ट विकल्पों के अधीन धारा 9 के अधीन जारी की गई अधिसूचना को प्रभावी रूप देने या इसे उपांतरित करने, जैसा वह उचित समझे, के आदेश जारी करेगा।

(5) सक्षम प्राधिकारी, उप-धारा (4) के अधीन उपायुक्त के आदेश की प्राप्ति पर, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में परियोजना भूमि के लिए उपान्तरित अन्तिम समेकन स्कीम प्रकाशित करेगा।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :- 2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 10 का प्रतिस्थापन।
- “10. कब्जा लेने का अधिकार.— (1) धारा 9 के अधीन अन्तिम समेकन स्कीम अथवा धारा 9क की उप-धारा (5) के अधीन उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम प्राधिकारी निजी भूमि के रह गए भू-खण्डों का कब्जा लेगा तथा उसके बदले में उस व्यक्ति, जो अन्तिम समेकन स्कीम या उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम के अधीन हकदार था, को प्रतिकर का वितरण करेगा या भूमि का कब्जा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सौंपेगा।
- (2) परियोजना भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा धारा 9क की उप-धारा (5) के अधीन उपांतरित अन्तिम समेकन स्कीम के प्रकाशन के बाद किसी तिथि को लिया जा सकता है।”।
6. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) में,— 2017 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 17 का संशोधन।
- (क) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(चच). धारा 9क की उप-धारा (2) के अधीन अपील दायर करने के लिए प्ररूप, रीति तथा फीस;
- (ख) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-
“(छछ). धारा 9क की उप-धारा (5) के अधीन उपांतरित अन्तिम स्कीम के प्रकाशन की रीति;”।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2017 के मुख्य हरियाणा समेकन (2017 के हरियाणा अधिनियम संख्या 28) का उद्देश्य परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकड़ों को समेकित करने के उद्देश्यों से, परियोजना या सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष प्रावधान करना है या आकस्मिक उपचार। किन्तु उक्त प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करने में हरियाणा राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसलिए हरियाणा अधिनियम 2017 की संख्या 28 में कुछ संशोधन करना आवश्यक है। तदानुसार, उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता आवश्यक हो गई है।

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) विधेयक, 2020 में निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की आवश्यकता है :-

- (क) 2017 के अधिनियम नं० 28 में धारा 3 को प्रतिस्थापित करना ताकि पट्टे पर ली गई भूमि को भी शामिल किया जा सके।
 - (ख) धारा 7 के खण्ड (ii) में संशोधन करना ताकि त्रुटि को दूर किया जा सके।
 - (ग) उक्त अधिनियम की धारा 7 में दूसरी प्रोविजो सम्मिलित करने के लिए, कलेक्टर दरों के 10 प्रतिशत के अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान करके, यदि कोई व्यक्ति मुआवजे के लिए, भूमि के बदले में, उक्त अनुभाग के खंड (i) के अनुसार विकल्प देता है। इसके अलावा, उक्त अनुभाग में तीसरा प्रोविजो सम्मिलित करने के लिए, ताकि परियोजना भूमि पर किसी भी इमारत या संरचना के लिए मुआवजा प्राप्त करने का प्रावधान किया जा सके।
 - (ङ) मुख्य अधिनियम में धारा 9 क सम्मिलित करने के लिए, ताकि अपील का प्रावधान किया जा सके।
 - (च) धारा 9 क की प्रविष्टि के मद्देजनर धारा 10 में संशोधन करने के लिए।
 - (छ) मुख्य अधिनियम में धारा 17 को संशोधित करना ताकि अपील दायर करने तथा अन्तिम संशोधित स्कीम के प्रकाशन बारे विधि बताई जा सके।
- विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों पर प्रभाव देना चाहता है।

दुष्यंत चौटाला,
उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 29 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।